


कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उत्तरकाशी।

आदेश संख्या - 39 / 2024

दिनांक: 21/12/2024

दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 12.01.2025 तक, अवकाश के दिनों में रिमाण्ड ड्यूटी सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी द्वारा सम्पादित किया जायेगा तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी के अवकाश पर अथवा किसी अन्य कारण से मुख्यालय पर स्थित न होने की स्थिति में उक्त अवधि में रिमाण्ड ड्यूटी सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त माह जनवरी में दिनांक 13.01.2025 से 31.01.2025 तक रिमाण्ड ड्यूटी सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी द्वारा किया जायेगा।




(अमर सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उत्तरकाशी।

पत्रांक 39 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
3. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
4. सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी
5. न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी
6. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. अधीक्षक, जिला कारागार, नई टिहरी।
8. अधीक्षक, बाल सम्प्रेक्षण गृह, डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।
9. बार संघ, उत्तरकाशी।
10. सिस्टम सहायक, उत्तरकाशी।
11. गार्ड फाईल।



(अमर सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।